

प्रेषक

पी0सी0 शर्मा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,  
विकास प्राधिकरण,  
देहरादून/हरिद्वार।

2- अध्यक्ष/सचिव,  
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उत्तरांचल।

आवास अनुभाग

देहरादून: दिनांक 19 सितम्बर, 2003

विषय : महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन के लिये शुल्क का निर्धारण विषयक शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1205/V-आ0-2005-11(L.U.C)/2003 दिनांक 12-4-2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा महायोजना एवं क्षेत्रीय योजनान्तर्गत भू-उपयोग की अनुमन्यता को एक अधिकार के रूप में न देखकर उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक पृष्ठभूमि संवेदनशील पर्यावरण तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास, राज्य के पर्यटन एवं औद्योगिक विकास के प्रोत्साहनार्थ एवं प्रकरणो विशेष के तकनीकी परीक्षणोपरांत उपयुक्त पाये जाने की दशा में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु व्यवस्था निर्धारित की गयी थी, उपरोक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्थाओं के क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बोर्ड के प्रस्ताव एवं उत्तरांचल राज्य में सामुदायिक सुविधाओं जैसे-शैक्षणिक संस्थान, शोध संस्थान, अस्पताल इत्यादि व आवासीय योजनाओं/नए टाउनशिप, पर्यटन आदि के विकास को बढ़ावा दिये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1205/V-आ0-2005-11(L.U.C)/2003 दिनांक 12-4-2005 द्वारा उत्तरांचल राज्य के समस्त विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत महायोजना में भूमि के भू-उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की निर्धारित दरों को नगरीय क्षेत्र एवं वाह्य क्षेत्रों में भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- |  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| (1) 2.0 हैक्टेअर क्षेत्रफल तक          | - | निर्धारित दर का 100 प्रतिशत। |
| (2) 2.01-6.0 हैक्टेअर क्षेत्रफल तक     | - | निर्धारित दर का 75 प्रतिशत   |
| (3) 6.01 हैक्टेअर क्षेत्रफल के उपरान्त | - | निर्धारित दर का 50 प्रतिशत   |

2- भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उपरोक्त दरों का निर्धारण उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम) 2002 की धारा-41(1) तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम-1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002 की धारा-38(1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्धारित की जा रही हैं।

3- शासनादेश संख्या-1205/V-आ0-2005-11(L.U.C)/03, दिनांक 12-4-2005 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे। कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)  
प्रमुख सचिव

संख्या-1573/V/आ0-2006-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी/कुमायूँ, नैनीताल।
- (2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- (3) वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
- (4) निदेशक, एन0आइ0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।
- (5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

14/9/06.

(एन0के0 जोशी)  
अपर सचिव